

Form-III  
फर्द अहकाम

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढी, जिला बांसवाड़ा

माधवजी पिता कुबेर पाटीदार जाति  
पाटीदार निवासी रोहिडा तहसील गढी  
जिला बांसवाड़ा

धुलजी पिता कुबेर पाटीदार निवासी  
रोहिडा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा

**बनाम**

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 88, 209 आर. टी. एक्ट.

प्रकरण संख्या: 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए।
09.6.2021	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी माधवजी पिता कुबेर पाटीदार जाति पाटीदार निवासी रोहिडा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रतिवादी धुलजी पिता कुबेर पाटीदार निवासी रोहिडा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.7.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गढी</p>	
15.7.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अत्रिमाषक उपखण्ड (गढी) अत्रिमाषक द्वारा उक्तरण में Not Press कर भागे मुद्दा इलाक़ा में लिखे गये। अतः उक्तरण में कार्यवाही इसी स्टेप पर शेष की जाती है। पत्रावली पेश कर शूमाट कर 9 आर 209 के तहत वादकाल दायरे में पेश की जाती है।</p>	<p>Not Press No Jurisdiction 15.07.21 इलाक़ा 250</p>

